



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2002/वैशाख 6, 1924

No. 392]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2002/VAISAKHA 6, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2002

का.आ. 464(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का. नि. आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

सक्त अधिसूचना की अनुसूची में, --

(क) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
" 1	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं० 9, 217.0 कि० मी० से 266.4 कि० मी० (नंदी गांव से विजयवाड़ा)को छोड़कर, सं० 16 [205.0 कि० मी० से 235.0 कि० मी० (चेन्नूर से अर्जुनगट्टा)को छोड़कर], सं० 43, सं० 63, सं० 202, सं० 205 और सं० 219 के आन्ध्र प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 18 और सं० 214	आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार";

(ख) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
"2	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 [963.000 कि. मी० से 1126 कि० मी० (राष्ट्रीय राजमार्ग 31 - सी/31 का चौराहा- नलवाड़ी - गुवाहाटी) को छोड़कर], सं० 36 [0.000 कि० मी० से 38.000 कि० मी० (डबोका से नागांव खंड) को छोड़कर], सं० 39 सं० 51, सं० 52 बी, सं० 61, सं० 153 और सं० 154 के असम राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 बी, सं० 37 [146.000 कि० मी० से 274.000 कि० मी० (गुवाहाटी से नागांव, जिसमें गुवाहाटी बाई पास भी है) को छोड़कर], सं० 37 ए, सं० 38 और सं० 152	असम राज्य सरकार";

(ग) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
"3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19, सं० 38 [365.570 कि० मी० से 520.000 कि. मी० (मुजफ्फरपुर - पिप्राकोठी से गोपालगंज उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) को छोड़कर], सं० 31 [410.000 कि० मी० से 447.000 कि० मी० और 470.000 कि० मी० से 476.150 कि० मी० (पूर्णिया से गोयरकाटा) को छोड़कर], सं० 80, सं० 81, सं० 98, और सं० 99 के बिहार राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 ए, सं० 30, सं० 30 ए, सं० 77, सं० 82 सं० 83, सं० 84, सं० 85, सं० 101 सं० 102, सं० 103, सं० 104, सं० 105, सं० 106 और सं० 107	बिहार राज्य सरकार";

(घ) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
"4	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [561-0 कि० मी० से 585.0 कि. मी० तक (राष्ट्रीय राजमार्ग - 4 पर चौराहे से मुम्बई) को छोड़कर], सं० 6 [149.80 कि. मी. से 1660.0 कि० मी० (अमरावती बाईपास) को छोड़कर] सं० 9, सं० 13, सं० 17 और सं० 69 के महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 50, सं० 204 और सं० 211	महाराष्ट्र राज्य सरकार";

(ङ) क्रम संख्या 4क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
"4 क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, सं० 15 [समरखाली से राधानपुर खंड को छोड़कर] और सं० 59 के गुजरात राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8ए [183.500 कि० मी० से 362.160	गुजरात राज्य सरकार";

कि. मी. को छोड़कर], (गांधीधाम से समख्याली से बामनबोर), सं. 8सी, सं. 8डी और सं. 8 ई	
--	--

(च) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

1	2	3
" 6	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17, सं० 47, [182.040 कि० मी० से 349.000 कि. मी०(तमिलनाडु/ केरल सीमा से कोची) को छोड़कर] , सं० 49, सं० 208, सं० 212, सं० 220 के केरल राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 ए और सं० 213	केरल राज्य सरकार";

(छ) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

1	2	3
" 7	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, [60.000 कि० मी० से 103.000 कि. मी० (राजस्थान/मध्यप्रदेश सीमा से ग्वालियर)को छोड़कर], सं० 7 [400.544 कि० मी० से 651.500 कि० मी० (लखनाडोन से मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर] , सं० 12, सं० 12 ए, सं० 27, सं० 59 , सं० 69, सं० 75 [0.000 कि० मी० से 90.000 कि० मी० (ग्वालियर से मध्यप्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा)को छोड़कर] , सं० 75 का विस्तार , सं० 76 [0.000 कि० मी० से 30.000 कि० मी० (मध्यप्रदेश /राजस्थान सीमा से शिवपुरी) को छोड़कर] , सं० 78, सं० 79, सं० 86 और सं० 92 के मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 59 ए	मध्य प्रदेश राज्य सरकार";

(ज) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

1	2	3
" 8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0-0 कि० मी० से 103.0 कि. मी० (चेन्नई से रानीपेट) को छोड़कर] और सं० 45ए, सं० 47[0.000 कि० मी० से 182.040 कि. मी० (सलेम से तमिलनाडु/केरल सीमा) को छोड़कर] , सं० 49, सं० 66, सं० 205, सं० 207, सं० 208, सं० 209, सं० 219 और सं० 220 के तमिलनाडु राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 ए, सं० 67, सं० 68, सं० 45 बी	तमिलनाडु राज्य सरकार";

	और सं० 210	
--	------------	--

(झ) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
“ 9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0.0 कि० मी० से 592.0 कि. मी० (बंगलौर से कर्नाटक से महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर] सं० 4 सं० 9 , सं० 13, सं० 17, सं० 63, सं० 207, सं० 209 और सं० 212 के कर्नाटक राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48, सं. 206 और सं. 218	कर्नाटक राज्य सरकार”;

(ज) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
“ 11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1[212.000 कि० मी० से 387.100 कि. मी० (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर) को छोड़कर], सं० 10, सं० 15, सं० 20, सं० 21, सं० 22, सं० 70 और सं० 71 के कर्नाटक राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 64 और सं० 95	पंजाब राज्य सरकार”;

(ट) क्रम संख्या 11क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
“ 11क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10, सं० 21 ए, सं० 22, सं० 64, सं० 65, सं० 71, सं० 72 और सं० 73 के हरियाणा राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 71ए	हरियाणा राज्य सरकार”;

(ठ) क्रम संख्या 11ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
“ 11ख	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, सं० 21, सं० 22, (सीमा सड़क विकास बोर्ड को पहले सौंप दिए गए भागों को छोड़कर), सं० 21ए, सं० 70, सं० 72 के हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार”;

	राजमार्ग सं० 88	
--	-----------------	--

(ड) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
" 12	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 [किशनगढ़ से अजमेर (366 कि० मी० से 396 कि. मी०) और अजमेर से उदयपुर (0 कि. मी. से 263/500 कि. मी०) को छोड़कर, सं० 11, सं० 12, सं० 14 [246.800 कि० मी० से 306.000 कि० मी० (पिंडवारा से राजस्थान/गुजरात सीमा) को छोड़कर], सं० 15, सं० 65, सं० 79 (नसीराबाद से चित्तौड़गढ़ खंड को छोड़कर) के राजस्थान राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11ए, सं० 89 और सं० 90	राजस्थान राज्य सरकार";

(ढ) क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
" 13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं० 7, सं० 11, सं० 19, सं० 24 [27.62 कि० मी० से 59.00 कि. मी० (गाजियाबाद से हापुड़-हापुड़ बाईपास सहित) और 148.43 कि० मी० से 166.65 कि० मी० (मुरादाबाद बाईपास को छोड़कर)], सं० 27, सं० 58, सं० 72ए, सं० 73, सं० 74, सं० 75 [90.00 कि० मी० से 103.00 कि० मी० (गंधारप्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से झांसी खंड) को छोड़कर], के उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 ए, सं० 29, सं० 56, सं० 91, सं० 93, सं० 96 और सं० 97	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार";

(ण) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
" 14	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [0.0 मि० मी० से 136.00 कि० मी० (कोकोट्टा से खड़गपुर) को छोड़कर], सं० 31, [447 कि० मी० से 470 कि. मी० और 476.150 कि. मी० से 634.150 कि० मी० (दलखोला से सिलीगुड़ी से चालसा) को छोड़कर], सं० 31सी [105 कि० मी० से 254.500 कि० मी० (चालसा से असम/पश्चिमी बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार";

सी.ग.को छोड़कर], सं0 32, सं0 61 [खडगपुर से आसमसहितक का भाग], सं0 80 और सं0 81 के पश्चिमी बंगाल राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 34, सं0 35, और सं0 55
--

[फा. सं. एन एच-14019/17/2001-पी एंड एम]

एन. के. सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं0 का. नि. आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन का आ0 1191 (अ), तारीख 3 दिसंबर, 2001 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2002

S.O. 464(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Transport, number S.R.O.1181, dated the 4th April, 1957, namely:—

In the said notification, in the Schedule,—

(a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3
"1	So much of National Highways No.4, No.9 excluding Km. 217.0 to 266.4 (from Nandigama to Vijayawada), No.16 [excluding from Km.205/0 to Km.235/0 (Chennur to Arjunagutta)], No.43, No.63, No.202, No.205 and No.219 as are situated within the State of Andhra Pradesh and National Highways No.18 and No.214	State Government of Andhra Pradesh."

(b) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3
"2	So much of National Highways No.31 [excluding Km.963.000 to Km.1126 (Junction of National Highways-31C/31-Nalbari-Guwahati)], No.36 excluding from Km. 0.000 to Km 38.000 (section from Daboka to Nagaon)], No.39, No.51, No.52B, No.61, No. 153 and No.154 as are situated within the State of Assam and National Highways No.31B, No.37 (excluding from Km. 146.000 to Km.274.000 (Guwahati to Nagaon including Guwahati bypass), No.37A, No.38 and No.152	State Government of Assam."

- (c) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"3	So much of National Highways No. 19, No. 28 [excluding from Km 365.570 to Km.520.00 (from Muzzafarpur-Piprakothi to Gopalganj-Uttar Pradesh/Bihar Border)], No. 31 [excluding from Km. 410.000 to Km.447.000 and Km. 470.000 to Km.476.150 (Purnea to Goyerkata)], No. 80, No. 81, No. 98, No. 99 as are situated within the State of Bihar and National Highways No. 28A, No. 30, No. 30A, No. 77, No. 82, No. 83, No. 84, No. 85, No.101, No.102, No.103, No. 104, No. 105, No. 106 and No. 107	State Government of Bihar.”;

- (d) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"4	So much of National Highways No.3 (excluding from Km 561.0 to Km 585.0 from Junction with NH-4 to Mumbai), No.6 [(excluding from Km. 149.80 to Km 166.0 (Amravati bypass)], No.9, No.13, No.17 and No.69 as are situated within the State of Maharashtra and National Highways No.50, No.204 and No.211	State Government of Maharashtra.”;

- (e) for serial number 4A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"4A	So much of National Highways No. 6, No. 15 [excluding the section Samakhali to Radhanpur] and No. 59 as are situated within the State of Gujarat and National Highways No. 8A. [excluding from Km. 183.500 to Km.362.160 (section from Gandhidham to Samakhali to Bamanbore)], No. 8C, No. 8D and No. 8E	State Government of Gujarat.”;

- (f) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"6	So much of National Highways No. 17, No. 47 [excluding from Km.182.040 to Km.349.000 Tamil Nadu/Kerala Border to Kochi] No. 49, No. 208, No.212, No. 220 as are situated within the State of Kerala and National Highways No. 47A and No. 213	State Government of Kerala.”;

- (g) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"7	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 60.000 to Km. 103.000 (Rajasthan/Madhya Pradesh Border to Gwalior)] No. 7 [excluding from Km.400.544 to Km.651.500 (Lakhnadon to Madhya Pradesh/Maharashtra Border)], No. 12, No.12A, No. 27, No.59, No. 69, No.75 [excluding from Km.0.000 to Km.90.000 (from Gwalior to Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border)], Extension of No. 75, No.76 [excluding from Km.0.000 to Km.30.000 (Madhya Pradesh to Rajasthan Border to Shivpuri) No. 78, No. 79, No. 86 and No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh and National Highway No.59A	State Government of Madhya Pradesh.”;

- (h) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"8	So much of National Highways No. 4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 103.0 (from Chennai to Ranipet)]and No. 45A, No.47 [excluding from Km.0.000 to Km.182.040 (from Salem to Tamil Nadu/Kerala Border)], No. 49, No. 66, No. 205, No. 207, No. 208, No. 209, No.219 and No. 220 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highways No. 7A, No. 67, No. 68, No. 45B and No. 210	State Government of Tamil Nadu.”;

- (i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"9	So much of National Highways No. 4, [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (from Bangalore to Karnataka to Maharashtra border)], No. 4A, No.9, No. 13 , No. 17, No. 63, No. 207, No. 209 and No. 212 as are situated within the State of Karnataka and National Highways No. 48, No. 206 and No. 218	State Government of Karnataka.”;

- (j) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"11	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km.212.000 to Km.387.100 (Haryana /Punjab Border to Jalandhar)], No.10, No.15, No.20, No.21, No.22, No.70 and No.71 as are situated within the State of Punjab and National Highways No.64 and No.95	State Government of Punjab.”;

- (k) for serial number 11A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"11 A	So much of National Highways No.10, No.21A, No.22, No.64, No.65, No.71, No.72 and No.73 as are situated within the State of Haryana and National Highway No.71A	State Government of Haryana.”;

- (l) for serial number 11B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"11B	So much of National Highways No.20, No.21, No.22 (excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board), No.21A, No.70, No.72 as are situated within the State of Himachal Pradesh and National Highway No.88	State Government of Himachal Pradesh."

- (m) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"12	So much of National Highways No.8, [Kishangarh to Ajmer (from Km. 366 to Km.396) and Ajmer to Udaipur (from Km.0 to Km.263/500)], No.11, No. 12, No. 14 [excluding from Km.246. 800 to Km.306.000 (Pindwara to Rajasthan/Gujarat Border section), No. 15, No. 65, No. 79 (excluding from section Nasirabad to Chittorgarh) as are situated within the State of Rajasthan and National Highways No. 11A, No. 89 and No. 90	State Government of Rajasthan."

- (n) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"13	So much of National Highways No. 2A, No. 7, No. 11, No. 19, No. 24 [excluding from Km. 27.62 to Km. 59.00 (Ghaziabad to Hapur including Hapur bypass) and excluding from Km. 148.43 to Km. 166.65 (Moradabad Bypass)], No.27, No. 58, No.72A, No. 73, No. 74, No. 75 [excluding from Km.90.000 to Km.103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], Extension of National Highway No. 75, No. 76, No. 86, No. 87 and No. 92 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No. 24A, No.29, No.56, No.91, No. 93, No. 96 and No. 97	State Government of Uttar Pradesh."

- (o) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"14	So much of National Highways No. 6 [excluding from Km. 0.0 to Km. 136.000 (from Kolkata to Kharagpur)], No. 31 [(excluding from Km. 447 to Km. 470 and Km.476.150 to Km. 634.150 (Dalkhola to Siliguri to Chalsa)], No. 31C [excluding from Km.105 to Km.254.500 (Chalsa to Assam/West Bengal border)] , No. 32, No. 60 [portion from Kharagpur to Asansol], No. 80 and No. 81 as are situated within the State of West Bengal and National Highways No. 34, No. 35, and No. 55	State Government of West Bengal."

[F. No. NH-14019/17/2001-P&M]

N. K. SINHA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O.1181, dated, the 4th April, 1957 and last amended vide S.O. No.1191 (E), dated, the 3rd December, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2002

का. आ. 465(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके साथ उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में यथाउल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंडों के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती हैं।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	भाग कि० मी० में
(1)	(2)	(3)
5	आन्ध्र प्रदेश /तमिलनाडु सीमा से विजयवाड़ा	180.820 कि० मी० से 182.820 कि० मी० तक
7	नागपुर से हैदराबाद	175.640 कि० मी० से 447.000 कि० मी० तक 474.000 कि० मी० से 480.000 कि० मी० तक
	हैदराबाद से कर्नाटक/आन्ध्र प्रदेश सीमा खंड (आन्ध्र प्रदेश राज्य में)	0.000 कि० मी० से 9.400 कि० मी० तक 34.800 कि० मी० से 463.632 कि० मी० तक
31	गुवाहाटी से नलबाड़ी - बिजनी खंड	963.000 कि० मी० से 1126.000 कि० मी० तक
31सी	बिजनी से पश्चिमी बंगाल/असम सीमा खंड	0.000 कि० मी० से 93.000 कि० मी० तक
36	डबोका से नागांव खंड	0.000 कि० मी० से 38.000 कि० मी० तक
37	नागांव से गुवाहाटी खंड (गुवाहाटी बाईपास सहित)	164.395 कि० मी० से 274.000 कि० मी० तक
54	सिलचर से हफलोंग से लंका से डबोका खंड (असम राज्य में)	0.000 कि० मी० से 309.000 कि० मी० तक
28	मुजफ्फरपुर से पिप्राकोठी से गोपालगंज से उत्तर प्रदेश /बिहार सीमा	365.570 कि० मी० से 520.000 कि० मी० तक
57	पूर्निया से फारबिसगंज से झंझारपुर से दरभंगा से	0.000 कि० मी० से 310.000 कि० मी० तक

	मुजफ्फरपुर (बिहार राज्य में)	
7	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से नागपुर खंड	651.500 कि० मी० से 729.050 कि० मी० तक
	नागपुर से हैदराबाद खंड (महाराष्ट्र राज्य में)	0.000 कि० मी० से 9.200 कि० मी० तक 64.000 कि० मी० से 175.640 कि० मी० तक
8ए	बामनबोर से समरखाली से गांधीधाम खंड	183.5 कि० मी० से 362.160 कि० मी० तक
8बी	पोरबंदर से राजकोट से बामनबोर	0.000 कि० मी० से 143.000 कि० मी० तक 160.000 कि० मी० से 217.000 कि० मी० तक
14	राधानपुर से पालनपुर से गुजरात/राजस्थान सीमा	पूरी पहुंच (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पहले से सौंपे गए 340.000 कि. मी. से 370.000 कि. मी० सहित)
15	राधानपुर से समरखाली खंड (गुजरात राज्य में)	140.000 कि० मी० से 281.300 कि० मी० तक
47	तमिलनाडु/केरल सीमा से कोची (केरल राज्य में)	182.040 कि० मी० से 316.000 कि० मी० तक 332.600 कि० मी० से 349 कि० मी० तक
7	लखनाडोन से सिओनी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	400.544 कि० मी० से 651.500 कि० मी० तक
25	शिवपुरी से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा	0.000 कि० मी० से 80.000 कि० मी० तक
26	उत्तर प्रदेश /मध्य प्रदेश सीमा से लखनाडोन	131.695 कि० मी० से 405.000 कि० मी० तक
75	ग्वालियर से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा	0.000 कि० मी० से 90.000 कि० मी० तक
76	मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा -शिवपुरी (मध्य प्रदेश राज्य में)	0.000 कि० मी० से 30.000 कि० मी० तक
7	कर्नाटक/तमिलनाडु सीमा से सलेम खंड	94.000 कि० मी० से 134.000 कि० मी० तक 141.000 कि० मी० से 156.000 कि० मी० तक
	सलेम से मदुरै खंड	207.600 कि० मी० से 248.160 कि० मी० तक 259.230 कि० मी० से 292.400 कि० मी० तक 306.400 कि० मी० से 446.800 कि० मी० तक
	मदुरै से कन्याकुमारी खंड	0.000 कि. मी. से 231.600 कि० मी० तक
47	सलेम से केरल/तमिलनाडु सीमा (तमिलनाडु राज्य में)	0.000 कि० मी० से 182.040 कि० मी० तक
7	हैदराबाद से बंगलौर खंड	463.632 कि० मी० से 524.000 कि० मी० तक

	(कर्नाटक राज्य में)	
1ए	जालंधर से जम्मू कश्मीर/ पंजाब सीमा (पंजाब राज्य में)	26.000 कि० मी० से 84.800 कि० मी० तक 87.000 कि० मी० से 101.800 कि० मी० तक 108.800 कि० मी० से 114.860 कि० मी० तक
1ए	जालंधर से जम्मू खंड (हिमाचल प्रदेश राज्य में)	84.800 कि० मी० से 87.800 कि० मी० तक 101.800 कि० मी० से 108 कि० मी० तक
3	उत्तर प्रदेश / राजस्थान सीमा से धोलपुर से राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा	51.000 कि० मी० से 60.000 कि० मी० तक
14	पिंडवारा से राजस्थान /गुजरात सीमा	246.800 कि० मी० से 306.000 कि० मी० तक
76	पिंडवारा से उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से कोटा से बारन से राजस्थान /एम. पी. सीमा (राजस्थान राज्य में)	0.000कि० मी० से 114.000 कि० मी० तक 220.000 कि० मी० से 580.000 कि० मी० तक
3	आगरा से ग्वालियर खंड	0.000 कि० मी० से 8.000 कि० मी० तक
25	मध्यप्रदेश /उत्तरप्रदेश सीमा से शिवपुरी से भोगनीपुर	80.000 कि० मी० से 256.000 कि० मी० तक
	भोगनीपुर से बारा खंड	256.000 कि० मी० से 281 .000 कि० मी० तक
	लखनऊ - कानपुर खंड	0.000 कि. मी० से 11.380 कि. मी. तक 75.500 कि० मी० से 80.000 कि० मी० तक
26	झांसी से लखनाडोन खंड	0.000कि० मी० से 131.695 कि० मी० तक
28	लखनऊ से फैजाबाद से गोरखपुर से उत्तर प्रदेश / बिहार सीमा	0.000कि० मी० से 365.570 कि० मी० तक
75	मध्यप्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से झांसी खंड (उत्तर प्रदेश राज्य में)	90.000 कि० मी० से 103.000 कि० मी० तक
31	चालसा से सिलिगुड़ी से डलकोला खंड	500.000 कि० मी० से 634.000 कि० मी० तक
31सी	चालसा से संकोश (असम/पश्चिमी बंगाल सीमा) (पश्चिमी बंगाल राज्य में)	105 कि० मी० से 254.500 कि० मी० तक

[फा. सं. एन एच-14019/17/2001-पी एंड एम]

एन. के. सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2002

S.O. 465(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against them in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway number	Section	Stretches in Kilometer
(1)	(2)	(3)
5	Andhra Pradesh/Tamil Nadu Border to Vijayawada	Km. 180.820 to Km.182.820
7	Nagpur to Hyderabad	Km. 175.640 to Km. 447.000 Km. 474.000 to Km.480.000
	Hyderabad to Karnataka/Andhra Pradesh Border section (in the State of Andhra Pradesh)	Km. 0.000 to Km.9.400 Km. 34.800 to Km.463.632
31	Guwahati to Nalbari-Bijni section	Km. 963.000 to Km.1126.000
31C	Bijni to West Bengal/Assam border section	Km. 0.000 to 93.000
36	Daboka to Nagaon section	KM.0.000 to Km.38.000
37	Nagao to Guwahati section (including Guwahati bypass)	Km.164.395 to Km.274.000
54	Silchar to Haflong to Lanka to Daboka section (in the State of Assam)	Km. 0.000 to Km.309.000
28	Muzaffarpur to Piprakothi to Gopalganj to Uttar Pradesh/ Bihar Border	Km.365.570 to Km.520.000
57	Purnea to Forbesganj to Jhanjharpur to Darbhanga to Muzzafarpur (in the State of Bihar)	Km.0.000 to Km.310.000

7	Madhya Pradesh /Maharashtra border to Nagpur section	Km.651.500 to Km.729.050
	Nagpur to Hyderabad Section (in the State of Maharashtra)	Km.0.000 to Km.9.2000 Km.64.000 to Km.175.640
8A	Bamanbore to Samakhyali to Gandhidham section	Km.183.5 to Km.362.160
8B	Porbandar to Rajkot to Bamanbore	Km.0.000 to 143.000 Km.160.000 to Km. 217.000
14	Radhanpur to Palanpur to Gujarat/Rajasthan border	Full reach (including Km.340.000 to Km.372.000 already entrusted to National Highways Authority of India)
15	Radhanpur to Samakhyali section (in the State of Gujarat)	Km.140.000 to Km.281.300
47	Tamil Nadu/Kerala Border to Kochi (in the State of Kerala)	Km.182.040 to Km. Km.316.00 Km. 332.600 to Km. 349.000
7	Lakhnadon to Seoni to Madhya Pradesh/Maharashtra Border	Km.400.544 to Km.651.500
25	Shivpuri to Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border	Km.0.000 to Km.80.000
26	Uttar Pradesh/Madhya Pradesh border to Lakhnadon	Km.131.695 to Km.405.000
75	Gwalior to Madhya Pradesh/ Uttar Pradesh Border	Km.0.000 to Km.90.000
76	Madhya Pradesh/ Rajasthan Border-Shivpuri (in the State of Madhya Pradesh)	0.000 to Km.30.000
7	Karnataka/Tamil Nadu Border to Salem section	Km.94.000 to Km.134.000 Km.141.000 to Km. 156.000 Km.207.600 to Km.248.165 Km.259.230 to Km 292.400 Km.306.400 to Km.446.800
	Salem to Madurai section	
	Madurai to Kanyakumari Section	Km. 0.000 to Km.231.600
47	Salem to Kerala/Tamil Nadu Border (in the State of Tamil Nadu)	Km.0.000 to Km.182.040
7	Hyderabad to Bangalore Section (in the State of Karnataka)	Km.463.632 to Km. 524.000

1A	Jalandhar to Jammu and Kashmir /Punjab border (in the State of Punjab)	Km.26.00 to Km.84.800 Km.87.000 to Km.101.800 Km.108.800 to Km.114.860
1A	Jalandhar to Jammu section (in the State of Himachal Pradesh)	Km.84.800 to Km.87.800 Km.101.800 to Km.108.800
3	Uttar Pradesh /Rajasthan Border to Dholpur to Rajasthan/Madhya Pradesh Border	Km. 51.000 to Km. 60.000
14	Pindwara to Rajasthan/ Gujarat Border	Km.246.800 to Km.306.000
76	Pindwara to Udaipur and Chittorgarh to Kota to Baran to Rajasthan/M.P. Border (in the State of Rajasthan)	Km. 0.000 to Km.114.000 Km. 220.000 to Km.580.000
3	Agra to Gwalior Section	Km. 0.00 to Km. 8.000
25	Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border to Shivpuri to Bhognipur	Km. 80.000 to Km. 256.000
	Bhognipur to Bara Section	Km. 256.00to Km. 281.000
	Lucknow-Kanpur section	Km. 0.000 to Km.11.380 Km. 75.500 to Km. 80.000
26	Jhansi to Lakhnadon section	Km.0.000 to Km.131.695
28	Lucknow to Faizabad to Gorakhpur to Uttar Pradesh/Bihar Border	Km. 0.000 to Km.365.570
75	Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border to Jhansi section (in the State of Uttar Pradesh)	Km.90.000 to Km.103.000
31	Chalsa to Siliguri to Dalkola section	Km.500.000 to Km.634.000
31C	Chalsa to Sankosh (Assam/West Bengal Border) (in the State of West Bengal)	Km.105 to Km.254.500

[F. No. NH-14019/17/2001-P&M]

N. K. SINHA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.